राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान–सभाकक्ष, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नया रायपुर में श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री एन.आर. यादव, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विनय कुमार मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
7. श्रीमती रेजीना टोप्पो, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। ऐजेण्डा के क्रम में निम्नानुसार चर्चा की गई:–

ऐजेन्डा आईटम नं.–1: 229वीं बैठक दिनांक 15/06/2017 का कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 229वीं बैठक दिनांक 15/06/2017 को आयोजित की गई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है तथा समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

ऐजेन्डा आईटम नं.–2: औद्योगिक परियोजनाओं (प्रथम बार चर्चा हेतु) के पर्यावरणीय स्वीकृति /टीओआर बाबत् निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स शिव रियल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, रावाभाटा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (601)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 64893/ 2017, यह आवेदन दिनांक 23/05/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 711/2, 771/6, 712/3, 712/4, 712/6, 712/7, 712/10 एवं 716/2, कुल एरिया 0.982 हेक्टेयर, रावाभाटा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर में माईल्ड स्टील बिलेट्स क्षमता– 59,900 टन/वर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता– 56,905 टन/वर्ष (क्षमता विस्तार उपरांत) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का विनियोग रुपये 800 लाख प्रस्तावित है।

इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 56,905 टन/वर्ष, पिग आयरन हैवी स्क्रैप – 8,985 टन/वर्ष एवं फेरो एलॉय – 599 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट मेटल – 59,900 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जावे।
2. प्रस्तुत भूमि दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि परियोजना इण्डस्ट्रीयल एरिया में स्थित है अथवा नहीं? इण्डस्ट्रीयल एरिया में स्थित होने संबंधी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फॉर्म 01 के बिंदु क्रमांक 04 में नई परियोजना होने का उल्लेख करते हुए बिंदु क्रमांक 05 में पूर्व से परियोजना स्थापित होने संबंधी विवरण में निल होने की जानकारी अंकित की गई है। आवेदन के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि उद्योग पूर्व से स्थापित एवं संचालित है। अतः स्थिति स्पष्ट किया जावे।
4. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, युनिट–II, ग्राम–सिलतरा, समीपस्थ फेज–2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (603)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 19496/ 2012, यह आवेदन दिनांक 31/05/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/8 एवं 114/9, कुल एरिया 8.0 एकड़, युनिट–II, ग्राम–सिलतरा, समीपस्थ फेज–2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर में स्टील मेल्टिंग शॉप क्षमता– 28,800 टन / वर्ष से 1,68,000 टन/वर्ष (क्षमता विस्तार उपरांत), न्यू रोलिंग मिल क्षमता– 1,68,000 टन/वर्ष एवं कोल गैसीफायर क्षमता– 11,000 सामान्य घनमीटर/ घण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का विनियोग रुपये 48.75 करोड़ प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 642 दिनांक 16/06/2014 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई के बिना) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 31/05/2017 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 1,51,200 टन/वर्ष, स्क्रैप – 42,000 टन/वर्ष एवं फेरो एलॉय – 5,040 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में स्टील इंगाट्स / बिलेट्स – 1,76,400 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। गैसीफायर में रॉ–मटेरियल के रूप में कोल – 26,880 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जावे।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
3. वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् न्यू रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
3. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स नर्मदा आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (605)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 65157/ 2017, यह आवेदन दिनांक 03/06/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लॉट नं. 151 एवं 152, सेक्टर–एफ, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़, कुल भूमि 3.6 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता– 33500 टन/वर्ष से 57500 टन/वर्ष, न्यू रोलिंग मिल क्षमता– 56375 टन/वर्ष, न्यू ट्यूब मिल क्षमता– 53700 टन/वर्ष, कोल गैसीफायर क्षमता– 1 गुणा 4400 सामान्य घनमीटर/घंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 1425 लाख प्रस्तावित है।

समीपस्थ आबादी पूंजीपथरा 0.15 कि.मी. एवं घरघोड़ा शहर 12.20 कि.मी. की दूरी में स्थित है। बंजारी मंदिर 3.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जिंदल एयर स्ट्रीप रायगढ़ 13.50 कि.मी, रेल्वे स्टेशन भूपदेवपुर 12.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। केलो नदी 5.6 कि.मी, कुरकुट नदी 7.8 कि.मी., गेरवानी नाला 6.5 कि.मी., कोसम नाला 3.0 कि. मी., रेबो डेम प्रोजेक्ट 1.5 कि.मी. कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

तराईमल रिजर्व फोरेस्ट 0.6 कि.मी., समारूना रिजर्व फोरेस्ट 2.9 कि.मी., सुहई रिजर्व फोरेस्ट 5.4 कि.मी., रेबो रिजर्व फोरेस्ट 7.0 कि.मी., उर्दना रिजर्व फोरेस्ट 6.7 कि.मी., पूंजीपथरा प्रोटेक्टेड फोरेस्ट 0.5 कि.मी., पाझर प्रोटेक्टेड फोरेस्ट 4.0 कि.मी., मघट प्रोटेक्टेड फोरेस्ट 4.7 कि.मी., की दूरी पर स्थित है।

10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

रॉ–मटेरियल – इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 169.5 टन/ दिन, स्क्रैप – 50.5 टन/दिन एवं फेरो एलॉयज – 2.0 टन/दिन का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में स्टील इंगाट्स/बिलेट्स – 192 टन/दिन का उत्पादन किया जावेगा। ट्यूब मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में एचआर कॉइल्स – 188 टन/दिन एवं कोल गैसीफायर में रॉ–मटेरियल के रूप में कोल – 32 टन/दिन उपयोग किया जावेगा। रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढ़के हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की मूलप्रति छानबीन हेतु प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किया जावे।
3. वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित प्रस्तुत किया जावे। क्षमता विस्तार के तहत् न्यू रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
4. वर्तमान में स्थापित कार्यकलापों तथा क्षमता विस्तार उपरांत कार्यकलापों से उत्पन्न ठोस अपशिष्टो की मात्रा, संग्रहण, अपवहन, व्ययन व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.–3: खनिज उत्खनन परियोजनाओं, कंस्ट्रक्शन परियोजना एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों एवं परियेाजना की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत पुनर्विचार कर प्रकरणों के पर्यावरणीय स्वीकृति /टीओआर बाबत् निर्णय लेना तथा रेत खदानों के संबंध में प्राप्त शिकायत बाबत् विचार।

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कोसमखुंटा, ग्राम–कोसमखुंटा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (537)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर –एसआईए/सीजी/एमआईएन/ 61338/ 2016, यह आवेदन दिनांक 27/12/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 5398/खनि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 27/12/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 864, ग्राम–कोसमखुंटा, ग्राम पंचायत कोसमखुंटा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन बघनई नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,000 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र –परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत कोसमखुंटा का दिनांक 24/07/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 249/खलि/रे.ख./2016, गरियाबंद दिनांक 27/04/2016 अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर एक खदान ग्राम–कनेकेरा, रकबा 7.0 हेक्टेयर 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–कोसमखुंटा) का रकबा 6.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–कोसमखुंटा) को मिलाकर कुल रकबा 13.0 हेक्टेयर होता है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उप संचालक, (खनि. प्रशा.), संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग, नया रायपुर द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–कोसमखुंटा 1.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–कोसमखुंटा 1.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 20 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई –1.5 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 124 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 250 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा –2,40,000 घनमीटर
8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 213वीं बैठक दिनांक 10/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती गौरी बाई, संरपच, ग्राम पंचायत कोसमखुंटा उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 249/खलि/रे.ख./2016, गरियाबंद दिनांक 27/04/2016 अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर एक खदान ग्राम–कनेकेरा, ग्राम पंचायत कनेकेरा, तहसील व जिला–महासमुंद रकबा 7.0 हेक्टेयर, 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। इससे स्पष्ट होता है कि कोसमखुंटा एवं कनेकेरा रेत खदान भिन्न – भिन्न जिलों में स्थित हैं तथा बघनई से उत्खनन किया जाना बताया गया है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित हो रहा है। इस हेतु संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया गया है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–कोसमखुंटा) का रकबा 6.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–कोसमखुंटा) को मिलाकर कुल रकबा 13.0 हेक्टेयर होता है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. रेत खदान ग्राम–कनेकेरा, ग्राम पंचायत कनेकेरा, तहसील व जिला–महासमुंद खसरा नं.– 2604, रकबा– 7.0 हेक्टेयर, क्षमता– 70,000 घनमीटर/वर्ष, बघनई नदी से उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 4729 दिनांक 08/02/2016 के द्वारा दो वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 07/02/2018 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

4. ग्राम पंचायत कोसमखुंटा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच द्वारा बताया गया कि 01 कि.मी. तक कोई पुल, एनीकट आदि स्थित नहीं है।

6. प्रस्तुत संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसारः–

- रेत खदानों में कार्यरत होने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 87 होगी।
- रेत खदान के आसपास ग्राम के निवासियों को रेत खनन कार्य से रोजगार प्रदान करते हुए प्राप्त राशि से पंचायत द्वारा आसपास के क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के कार्य किये जावेंगे।
- नदी/नाला के तटों पर एवं पहुंच मार्गों पर 250 वृक्ष/वर्ष लगाया जावेगा तथा ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित भूमि, नदी तट एवं मार्ग पर निर्देशानुसार प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जावेगा।
- रेत ढोने वाले मालवाहकों से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु मार्ग में जल छिड़काव किया जावेगा। रेत को तालपत्री/तारपोलिन से ढ़ंककर परिवहन किया जावेगा।
- नैसर्गिक जल प्रवाह तंत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। नदी में खनन क्षेत्र या उसके पास से होकर यदि कोई जल प्रवाह तंत्र बनता है तो प्रवाह तंत्र के दोनों छोर पर 10 मीटर का बफर जोन छोड़ते हुए रेत का खनन सुनिश्चित किया जावेगा। नदी तट से 10 मीटर की दूरी तक खनन कार्य प्रतिबंधित किया जावेगा। नदी/नाला, तालाब आदि में दूषित जल की निकासी नहीं होगी। स्वच्छता के सभी उपाय के प्रचार प्रसार किये जावेंगे।

7. समिति का मत था कि नदी/नाला के तटों पर एवं पहुंच मार्गों पर कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

क्लस्टर में शामिल कनेकेरा रेत खदान के सरपंच /सचिव के संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना में सहमति बाबत् हस्ताक्षर नहीं हैं, इससे स्पष्ट नहीं होता है कि प्रस्तुत संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रदूषण नियंत्रण / पर्यावरण प्रबंधन संबंधी कार्यवाहियों हेतु क्लस्टर में शामिल सभी रेत खदान सहमत हैं। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि कनेकेरा रेत खदान के सरपंच /सचिव के संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना में हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1391, दिनांक 15/03/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कनेकेरा रेत खदान के सरपंच /सचिव के संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना में हस्ताक्षर कराकर दिनांक 16/05/2017 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। बघनई नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा नं. 864, ग्राम–कोसमखुंटा, ग्राम पंचायत कोसमखुंटा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर / वर्ष हेतु **संलग्न–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स छापरिया मिनरल्स (तरौद लाईम स्टोन माईन), ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा (568)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 62987/2017, यह आवेदन दिनांक 06/03/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 2118/6, ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा,

जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 5.383 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,46,950 मीट्रिक टन/वर्ष है। खदान शासकीय राजस्व भूमि है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ अमलगमेटेड (amalgamated) क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर कोरबा के पत्र क्रमांक 738/ख.लि. 1/उ.यो.अ./2017 कोरबा दिनांक 02/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. ग्राम पंचायत तरौद द्वारा दिनांक 10/07/1997 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर–चांपा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित चूना पत्थर खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य 06 चूना पत्थर खदानें कुल रकबा 10.297 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है। आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम–तरौद) रकबा 5.383 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम–तरौद) को मिलाकर कुल 15.68 हेक्टेयर है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–तरौद 1.8 कि.मी. एवं निकटतम शहर जांजगीर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अस्पताल ग्राम–तरौद 2.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.1 कि.मी. है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. **लीज डीड की जानकारी –** मेसर्स छापरिया मिनरल्स के नाम से श्री संजय छापरिया, पिता – श्री गोपाल राम अग्रवाल को खसरा क्रमांक 2118/6 (भाग) पर रकबा 8.00 एकड़ हेतु दिनांक 29/08/2007 से 28/08/2017 तक की अवधि बाबत् लीज डीड दिनांक 13/05/2008 को संपादित की गई है। इसी प्रकार श्री गोपाल राम अग्रवाल, पिता – श्री मांगे राम को खसरा क्रमांक 2118/6 (भाग) पर रकबा 2.147 हेक्टेयर हेतु दिनांक 29/08/2007 से 28/08/2017 तक की अवधि बाबत् लीज डीड दिनांक 13/05/2008 को संपादित की गई है। संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 22/02/2017 के द्वारा ग्राम – तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा में मेसर्स छापरिया मिनरल्स, पार्ट, श्री संजय कुमार अग्रवाल को खसरा क्रमांक 2118/6 (भाग) पर रकबा 8.00 एकड़ तथा श्री गोपाल राम अग्रवाल को खसरा क्रमांक 2118/6 (भाग) पर रकबा 5.30 एकड़ पर स्वीकृत 02 निम्न श्रेणी चूनापतथर उत्खनन पट्टों का समामेलन मेसर्स छापरिया मिनरल्स के पक्ष में किया गया है। कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) कोरबा के पत्र दिनांक 02/03/2017 के द्वारा 5.383 हेक्टेयर (13.30 एकड़) क्षेत्र पर मूल स्वीकृति दिनांक से 28/08/2027 तक के लिये खदान की अवधि विस्तारित करने हेतु उत्खनन योजना का अनुमोदन किया गया है। उत्खनन योजना अनुमोदन दिनांक से 10 वर्ष तक के लिये मान्य है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व 22,18,200 टन एवं माईनेबल रिजर्व 16,49,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग किया जाता

है। भू–भाग के 42164 घनमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 06 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। 600 नग पौधों का वृक्षारोपण 7050 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3.0 मीटर है। 07 कि.ली./दिन जल की खपत होती है। जल की आपूर्ति ट्यूव वेल से की जाती है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जावेगा। विगत 05 वर्षों में उत्खनन की वर्षवार मात्रा 42164 घनमीटर बताई गई है। अनुमोदित अमलगमेटेड (amalgamated) क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान के अनुसार वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम पाँच वर्षों हेतु उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
प्रथम वर्ष	21993	3.0	65980	164950
द्वितीय वर्ष	21993	3.0	65980	164950
तृतीय वर्ष	21993	3.0	65980	164950
चतुर्थ वर्ष	21993	3.0	65980	164950
पंचम वर्ष	21993	3.0	65980	164950
कुल	–	–		**824750**

द्वितीय पाँच वर्षों हेतु उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
प्रथम वर्ष	21993	3.0	65980	164950
द्वितीय वर्ष	21993	3.0	65980	164950
तृतीय वर्ष	21993	3.0	65980	164950
चतुर्थ वर्ष	21993	3.0	65980	164950
पंचम वर्ष	21993	2.0	43986	109965
कुल	–	–		**7,69,765**

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 222वीं बैठक दिनांक 22/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :–

1. दोनों खदानों का पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई है। पूर्व में माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं करने के कारण भी उक्त पुष्टि नहीं हो सकी।
2. अमलगमेटेड (amalgamated) क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान में उल्लेखित अमलगमेटेड (amalgamated) एरिया को नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारियाँ / दस्तावेज मंगाया जावे :–

1. दोनों खदानों का पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रतियाँ (समामेलन के पूर्व की) प्रस्तुत किया जावे।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जावे।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
5. माईनिंग प्लान में उल्लेखित उत्पादन प्रति वर्ष एक समान बताया गया है, जो कि संभव नहीं है। इस बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जावे।
6. अमलगमेटेड (amalgamated) क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान में उल्लेखित अमलगमेटेड (amalgamated) एरिया को नक्शे में दर्शाते हुये स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 223वीं बैठक दिनांक 20/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री संजय छापरिया, प्रोपराईटर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर–चांपा के पत्र क्रमांक 3150 दिनांक 09/03/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 05 कि. मी. परिधि में कुल 70 खदानें रकबा 117.57 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं। इनमें से सभी खदानों की लीज 09/09/2013 के पूर्व की स्वीकृत है। अर्थात् आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है।
2. पूर्व में गौण खनिज के खदानों के लिये माईनिंग प्लान बनाने की आवश्यकता न होने के कारण दोनों खदानों का पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रतियाँ (समामेलन के पूर्व की) प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि माईनिंग लीज क्षेत्र एवं उत्खनन क्षमता में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है।
4. मेसर्स छापरिया मिनरल्स, प्रोपराइटर संजय छापरिया निवासी बिलासपुर के पक्ष में कार्यालयीन अभिलेख अनुसार उक्त पट्टे की मूल प्रति स्वीकृत अवधि 29/08/1997 से 31/12/2016 तक कुल उत्पादन मात्रा 5,79,632 मिलियन टन किया गया है। श्री गोपालराम अग्रवाल निवासी बिलासपुर के पक्ष में कार्यालयीन अभिलेख अनुसार उक्त पट्टे की मूल प्रति स्वीकृत अवधि 29/08/1997 से 31/12/2016 तक कुल उत्पादन मात्रा 7,77,914 मिलियन टन किया गया है।
5. वर्तमान में खदान में उत्खनन कार्य संचालित है।

6. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में प्रतिवर्ष उत्पादन समान बताया गया है क्योंकि माईनेबल रिजर्व आगामी 10 वर्षों के लिये है।

7. अमलगमेटेड (amalgamated) क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान में उल्लेखित अमलगमेटेड (amalgamated) एरिया को नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारियॉ / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावेः–

1. माईनिंग प्लान में उल्लेखित उत्पादन प्रति वर्ष एक समान बताया गया है, जो कि संभव नहीं है। इस बाबत् प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार ''प्रस्तुत अनुमोदित उत्खनन योजना में प्रतिवर्ष उत्पादन समान बताया गया है क्योंकि माईनेबल रिजर्व आगामी 10 वर्ष के लिये है।'' को अमान्य करते हुये पुनः स्पष्ट जानकारी मंगाया जावे।

2. प्रस्तुतीकरण के अनुसार इन्व्हायरोमेंटल मॉनिटरिंग के लिये मात्र 1,00,000/– रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है, यह युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता है। बजट प्रावधान को युक्तियुक्त कर प्रस्तुत किया जावे।

3. उत्पादन क्षमता एवं डम्प की ऊँचाई आदि में संशोधन करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रथम वर्ष में 700 नग वृक्षारोपण किये जाने बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 223वीं बैठक दिनांक 20/04/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/05/2017 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार :–

1. माईनिंग प्लान में उल्लेखित उत्पादन प्रति वर्ष एक समान बताया गया है, इस संबंध में परियेाजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम पाँच वर्षों हेतु उत्खनन की योजना

वर्ष	**क्षेत्रफल (वर्गमीटर)**	**बल्क डेंसिटी (मीटर)**	**आयतन (घनमीटर)**	**उत्खनन क्षमता ROM (टन)**
प्रथम वर्ष	37002	2.5	55494	135735
द्वितीय वर्ष	33900	2.5	44450	111125
तृतीय वर्ष	44716	2.5	59421	148552.5
चतुर्थ वर्ष	32100	2.5	47550	118875
पंचम वर्ष	30720	2.5	46080	115200
कुल	**–**	**–**		**629487.5**

द्वितीय पाँच वर्षों हेतु उत्खनन की योजना

वर्ष	**क्षेत्रफल (वर्गमीटर)**	**बल्क डेंसिटी (मीटर)**	**आयतन (घनमीटर)**	**उत्खनन क्षमता ROM (टन)**
षष्ठम वर्ष	40900	2.5	61350	153375
सप्तम वर्ष	34334	2.5	51501	128752.5
अष्ठम वर्ष	40720	2.5	61080	152700

नवम वर्ष	35000	2.5	52500	131250
दशम वर्ष	29500	2.5	44250	110625
कुल	**–**	**–**		**676702.5**

2. इन्व्हायरोमेंटल मॉनिटरिंग के संबंध में शपथ पत्र एवं प्रथम वर्ष में 700 नग वृक्षारोपण किये जाने बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्पादन क्षमता एवं डम्प की ऊँचाई आदि में संशोधन करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/ दस्तावेज अस्पष्ट है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत थनौद, ग्राम–थनौद, तहसील व जिला–दुर्ग (566)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 62943/2017, यह आवेदन दिनांक 03/03/2017 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। इस आवेदन की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है, परन्तु संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 2820, ग्राम–थनौद, ग्राम पंचायत थनौद, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 14.50 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 50,000 घनमीटर (85,000 टन)/ वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत थनौद द्वारा दिनांक 28/09/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 1411/खनि.लि.2/खनिज/आ.रेत.खदान/2010 दुर्ग, दिनांक 27/10/2010 के अनुसार खदान को आरक्षित किया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 2158/ख.लि.2/खनिज/रेत खदान/2017 दुर्ग, दिनांक 16/01/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित

कुल 01 रेत खदान कोनारी रकबा 3.642 हेक्टेयर खदान से लगा हुआ है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–थनौद) रकबा 14.50 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–थनौद) को मिलाकर कुल 18.142 हेक्टेयर है।

5. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री दीपक मिश्रा, खनि अधिकारी, जिला–बालोद छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–चंदखुरी 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रायमरी स्कूल ग्राम–चंदखुरी 1.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–चंदखुरी 1.7 कि.मी. की दूरी पर है। राज्यमार्ग 1.8 कि.मी. है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 210 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 400 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 4,00,620 घनमीटर
8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण :–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती ललिता भारती, संरपच, ग्राम पंचायत थनौद एवं श्री एच.एल. लावत्रे, प्रभारी खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान संरपच द्वारा बताया गया कि खदान का सीमांकन सीमेंट पोल से किया गया है। रेत खदान में पिट्स खुदवाकर रेत उपलब्धता की गहराई नापी गई, जो औसत 03 मीटर से अधिक पायी गई।
2. सरपंच द्वारा बताया गया कि ग्राम एवं आसपास में श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। अतः रोजगार की दृष्टिकोण से श्रमिकों के माध्यम से रेत का उत्खनन एवं भराई आदि कार्य कराया जावेगा तथा मशीन के माध्यम से रेत का उत्खनन एवं भराई आदि कार्य नहीं कराया जावेगा।
3. समिति द्वारा श्री दीपक गुप्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत का अवलोकन किया गया। शिकायत में निम्नानुसार तथ्य उल्लेखित है :–

''ग्राम–थनौद तहसील एवं जिला दुर्ग के खसरा क्र. 2820 रकबा 40 एकड़ पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दीपक कुमार गुप्ता को पूर्णेक्षण पट्टा स्वीकृत किया गया था, और जिनके द्वारा इस खसरा क्र. 2820 रकबा 40 एकड़ पर मोल्डिंग सैंड खनिज पट्टा हेतु आवेदन किया गया था, जिसे किसी कारणवश छत्तीसगढ़ शासन एवं ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध दीपक कुमार गुप्ता ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट पिटीशन दायर की है, जिसका क्र. WP(C)446/2015 है। इस रिट पिटीशन में ग्राम–थनौद की सरपंच श्रीमती ललिता भारती को भी जवाब प्रस्तुत करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा नोटिस जारी की गई है, किंतु श्रीमती ललिता भारती द्वारा आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्रीमती ललिता भारती द्वारा ऐन–केन किसी भी प्रकार से खसरा क्र. 2820 पर पट्टा प्राप्त करना चाहती है।''

शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता, तब तक ग्राम–थनौद तहसील एवं जिला दुर्ग के शिवनाथ नदी के खसरा क्र. 2820 रकबा 40 एकड़ पर किसी भी तरह की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी न की जावे।

4. प्राप्त शिकायत को कलेक्टर, दुर्ग को प्रेषित करते हुए शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में टीप एवं अभिमत से प्राथमिकता से अवगत कराने हेतु लिखा जावे।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि :–

1. परियोजना प्रस्तावक को संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर / कलेक्टर, जिला–दुर्ग से विचाराधीन प्रकरण को अग्रेषित कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
2. शिकायत के परिपेक्ष्य में कलेक्टर, दुर्ग को शिकायत की प्रति प्रेषित करते हुये वस्तुस्थिति की जांच उपरांत अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के दिनांक 15/05/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज पत्र दिनांक 22/05/2017 एवं कलेक्टर, दुर्ग के पत्र दिनांक 24/05/2017 को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार :–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 504/ख.लि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 19/05/2017 के द्वारा अग्रेषित कर दिया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 541/खनि.लि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 24/05/2017 द्वारा शिकायत के परिपेक्ष्य में वस्तुस्थिति की जांच उपरांत अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र पर खनिज मोल्डिंग सेण्ड की मात्रा नहीं है। वहां पर साधारण रेत उपलब्ध है। अतः ग्राम थनौद तहसील व जिला दुर्ग के खसरा नंबर 2820 रकबा 14.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर सरपंच, ग्राम पंचायत थनौद का पर्यावरणीय सम्मति जारी की जा सकती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 2158/ख.लि.2/खनिज/रेत खदान/2017 दुर्ग, दिनांक 16/01/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 01 रेत खदान कोनारी रकबा 3.642 हेक्टेयर खदान से लगा हुआ है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–थनौद) रकबा 14.50 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–थनौद) को मिलाकर कुल 18.142 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत थनौद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।
5. प्रस्तुत संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसारः–

- रेत खदानों में कार्यरत होने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 43 होगी।
- रेत खदान के आसपास ग्राम के निवासियों को रेत खनन कार्य से रोजगार प्रदान करते हुए प्राप्त राशि से पंचायत द्वारा आसपास के क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के कार्य यथा सार्वजनिक कार्य, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि किये जावेंगे।
- नदी/नाला के तटों पर एवं पहुंच मार्गों पर 200 वृक्ष/वर्ष लगाया जावेगा तथा ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित भूमि, नदी तट एवं मार्ग पर निर्देशानुसार प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जावेगा।
- रेत ढोने वाले मालवाहकों से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु मार्ग में जल छिड़काव किया जावेगा। रेत को तालपत्री/तारपोलिन से ढ़ंककर परिवहन किया जावेगा।
- नैसर्गिक जल प्रवाह तंत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। नदी में खनन क्षेत्र या उसके पास से होकर यदि कोई जल प्रवाह तंत्र बनता है तो प्रवाह तंत्र के दोनों छोर पर 10 मीटर का बफर जोन छोड़ते हुए रेत का खनन सुनिश्चित किया जावेगा। नदी तट से 10 मीटर की दूरी तक खनन कार्य प्रतिबंधित किया जावेगा। नदी/नाला, तालाब आदि में दूषित जल की निकासी नहीं होगी। स्वच्छता के सभी उपाय के प्रचार प्रसार किये जावेंगे।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। खनिज

विभाग के अनापत्ति के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा नं. 2820, ग्राम–थनौद, ग्राम पंचायत थनौद, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 14.50 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. मेसर्स के.ए. राव एवं कंपनी पार्टनर–श्री रामभगत गुप्ता, ग्राम–बानीपाथर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (550)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61833 /2017, यह आवेदन दिनांक 18/01/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खसरा नं. 112/2, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/7, 112/8, 112/9, 112/12, 113/1, 113/2, 113/3, 113/5, 114, 395/1, 408/1, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 411/3, 413, 414, 415/1, 418, 416, 419, 422/1, 423, 427, 448 एवं 461, ग्राम–बानीपाथर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्र 7.409 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–45133.72 टन/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ स्कीम ऑफ माइनिंग एलॉग विथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक आरजीएच/एलएसटी/ एमपीएल–138/एनजीपी/2015 दिनांक 12/04/2016 (अवधि 2016–17 से 2017–18, दिनांक 31/03/2018 तक) द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान के अनुसार लीज अनुमति प्रदान की तिथि 04/09/2002 तथा लीज संपादित करने की तिथि 26/09/2002 है। बानीपाथर लाईम स्टोन माईन का माईनिंग प्लान क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक आरजीएच/एलएसटी/ एमपीएलएन–138/एनजीपी, दिनांक 02/05/2003 द्वारा 7.409 हेक्टेयर हेतु 31/03/2008 तक की अवधि हेतु अनुमोदित किया गया था। स्कीम ऑफ माइनिंग का अनुमोदन पत्र क्रमांक बीएलएस/एलएसटी/ एमपीएलएन–138/एनजीपी, दिनांक 25/08/2010 द्वारा 31/03/2013 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् स्कीम ऑफ माइनिंग एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक आरजीएच/एलएसटी/ एमपीएल–138/एनजीपी/2015 दिनांक 12/04/2016 (अवधि 2016–17 से 2017–18, दिनांक 31/03/2018 तक) द्वारा अनुमोदित किया गया है। लीज नवीनीकरण मेसर्स के. ए. राव एण्ड कंपनी खरसिया, पार्टनर श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता के नाम पर संपादित हुआ है, जिसकी अवधि 26/09/2002 से 25/09/2022 अर्थात् 20 वर्षों तक की है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं :–

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–बानीपाथर 0.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था, अस्पताल एवं मंदिर खरसिया 6.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 1.5 कि.मी. है। माण्ड नदी 3.5 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में बुर्हा पाथर रिजर्व फॉरेस्ट दक्षिण में 3 कि.मी. एवं माण्ड रेंज उत्तर में 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित होना बताया गया है।
3. जियोलॉजिकल रिजर्व 10,75,603 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,33,416 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की उंचाई 3.0 मीटर है। कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाता है। प्रसंस्करण इकाई क्रशर 0.06 हेक्टेयर में स्थापित है। क्रशर की स्क्रीन को ढंका गया है एवं डस्ट सप्रेशन हेतु जल छिड़काव किया जाता है। भू–भाग के 2.18 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन होना बताया गया है। वर्तमान में उत्खनन की गहराई 10 मीटर है। आवेदन अनुसार उत्खनन की अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी। उपरी मिट्टी की मात्रा 52137 घनमीटर है। प्रस्तुत आवेदन अनुसार विगत पांच वर्षों में निकाले गये खनिज की मात्रा (वर्ष 2007–2013 तक) 18544 टन है। अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान के अनुसार प्रथम वर्ष अर्थात् वर्ष 2003–04 से दसवें वर्ष अर्थात् 2012–13 की अवधि में वास्तविक उत्खनन 26,844 टन/वर्ष है। जल की खपत 10 किलोलीटर प्रति दिन है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लगभग 300 नग पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

अनुमोदित स्कीम ऑफ माईनिंग के अनुसार विगत वर्षों के लिए उत्खनन संबंधी जानकारी

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2003–2004	1250	2390
2004–2005	1250	670
2005–2006	1300	2760
2006–2007	1300	2480
2007–2008	0	3706
2008–2009	4185	3778
2009–2010	9000	3015
2010–2011	11255	2495
2011–2012	11250	2570
2012–2013	13500	2980
कुल	**54290**	**26844**

अनुमोदित स्कीम ऑफ माईनिंग के अनुसार पांच वर्षो के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	उत्खनन एरिया (वर्गमीटर)	उत्खनन (टन)
2013–2014	–	6025

2014–2015	–	7155
2015–2016	5343.48	40076.10
2016–2017	6017.83	45133.72
2017–2018	6017.83	45133.72
कुल	**17379.14**	**130343.54**

4. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 217वीं बैठक दिनांक 21/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी प्रमाण पत्र की स्पष्ट पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जावे।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
3. पूर्व में स्वीकृत माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/03/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 220वीं बैठक दिनांक 20/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री विक्रम गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. ग्राम पंचायत नवागांव का दिनांक 28/07/2001 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। पूर्व में स्वीकृत अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि प्रकरण में उत्खनन की जो मात्रा बताई गई है, वो वास्तव में उत्पादन न होकर पूर्व में उत्पादित खनिज जो खनिपट्टा क्षेत्र में रखा गया था, को डिस्पेच किया गया है। यह भी स्पष्ट हो कि खनिज अधिकारी के निर्देशानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति न होने से खदान में खनन कार्य बंद रखा गया है। इस प्रकार पर्यावरण संबंधी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 4021 दिनांक 13/01/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 03 खदानें, कुल रकबा 3.232 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बानीपाथर) का रकबा 7.409 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बानीपाथर) को मिलाकर कुल रकबा 10.641 हेक्टेयर है। आवेदित खदान को मिलाकर खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण उपरोक्त सभी खदानों हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 14/03/2017 को

संशोधन अधिसूचना जारी किया गया है। इस अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि ''पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाएं या क्रियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात् पर्यावरणीय अनापत्ति के लिये लायी जाती है या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अतिक्रमण के मामले के रूप में समझा जाएगा और ऐसे मामलों में यहां तक कि प्रवर्ग ख की परियोजनाएं, जिन्हे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त की गई है, का पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा ही मूल्यांकन किया जाएगा और पर्यावरणीय अनापत्ति केंद्रीय स्तर पर अनुदत्त की जाएगी।'' अतः किसी परियोजना द्वारा ई.आई.ए नोटिफिकेशन, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उस परियोजना को भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन किया जाना होगा।

5. प्रकरण में लीज का नवीनीकरण वर्ष 2002 में किया गया है तथा प्रथम वर्ष उत्खनन 2003–04 बताया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि पूर्व में माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत नहीं करने के कारण भी उक्त पुष्टि नहीं हो सकी। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया होगा तो संशोधन अधिसूचना दिनांक 14/03/2017 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन किया जाना होगा।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारियाँ / दस्तावेज मंगाया जावेः–

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत किया जावे।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जावे।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
5. उत्खनन वर्तमान में कब से बंद है, इस बाबत् खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
6. कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 63 दिनांक 13/04/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज पत्र दिनांक 23/05/2017 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार :–

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जो कि माईनिंग प्लान क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक

आरजीएच/एलएसटी/ एमपीएलएन–138/एनजीपी, दिनांक 02/05/2003 द्वारा 7.409 हेक्टेयर (2002–03 से 2007–08 तक की अवधि हेतु) अनुमोदित किया गया।

2. उप–जिलाध्यक्ष, रायगढ़ (मध्य प्रदेश) के पत्र दिनांक 15/10/1982 द्वारा स्वीकृत भूमि पर कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान दी गई थी।

3. खनि अधिकारी, वास्ते कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज मात्रा की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार :–

वर्ष	माईनिंग प्लान/माईनिंग स्कीम में वर्षवार प्रस्तावित खनिज की मात्रा (टन)	वास्तविक उत्पादन की मात्रा (टन)
2002–2003	निल	निल
2003–2004	2232.5	2390
2004–2005	2157.5	670
2005–2006	2317.5	2760
2006–2007	2317.5	2480
2007–2008	Not Proposed	3706
2008–2009	4185	3778
2009–2010	9000	3015
2010–2011	11255	2495
2011–2012	11250	2570
2012–2013	13500	2980
2013–2014	13500 (Deemed Production)	6025
2014–2015	13500 (Deemed Production)	7155
2015–2016	36068.49	6980
2016–2017	40620.35	10240 (Up to Dec. 2016) Jan. - Mar. 2017 assessment not done
2017–2018	40620.35	–

4. संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार :–

- खदान में कार्यरत होने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 27 होगी।
- प्रसंस्करण इकाई क्रशर 0.06 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। इस हेतु प्रयुक्त ईंधन के रूप में इलेक्ट्रिक पॉवर की मात्रा 0.04 मेगावाट/दिन है।
- खदान से उत्पन्न ठोस अपशिष्ठ केवल 10 प्रतिशत उत्पन्न होगा, जिसका उपयोग भू–भराव हेतु किया जावेगा।
- खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण (डस्ट सप्रेशन, ब्लास्टिंग, ट्रांसपोर्ट आदि से उत्पन्न धूल) हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
- उत्खनन क्षेत्र में किसी भी प्रकार दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा।
- अनुमोदित क्वारी प्लान के अनुसार उत्खनन समाप्ति के पश्चात् उत्खनित भूमि का सुधार कार्य कर दिया जावेगा।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

1. प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 2003–04, 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में अनुमोदित माईनिंग प्लान/स्कीम से अधिक उत्खनन किया गया है। साथ ही बाद के वर्षो में भी अनुमोदित माईनिंग स्कीम में प्रस्तावित उत्खनन की क्षमता में वृद्धि की गई है। इस प्रकार वास्तविक उत्खनन की इन वर्षो में वृद्धि हुई है। वृद्धि के पूर्व/लीज नवीनीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना था, परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अतः ईआईए नोटिफिकेशन, 1994/2006 के उल्लंघन का प्रकरण है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुशंसा की गई :–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 1994/ ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य खनिज के उत्खनन के प्रकरणों को लीज नवीनीकरण, क्षमता विस्तार, उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक है। जबकि परियोजना प्रस्ताव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन कार्य किया गया है। अतः विचाराधीन प्रकरण में ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 1994/ ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना का.आ. 1805 (अ) दिनांक 06/06/2017 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना कार्य कर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रकरणों के पर्यावरणीय स्वीकृति की सुनवाई हेतु विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति का गठन किया गया है। अतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 804 (अ) दिनांक 14/03/2017 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करते हुए पर्यावरणीय अनापत्ति केंद्रीय स्तर से प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन कार्य किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।
3. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डिलिस्ट/निरस्त किया जावे।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मंडल एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, अटल विहार (प्रधानमंत्री आवास योजना), ग्राम–सिवनी, तहसील व जिला–बालोद (553)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस / 62095 /2017, यह आवेदन दिनांक 29/01/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा अटल विहार कालोनी निर्माण संबंधी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि खसरा नं. 419–1, ग्राम–सिवनी, तहसील व जिला–बालोद में ''**प्रधानमंत्री आवास योजना**'' के नाम से प्रस्तावित है। कुल प्लाट एरिया 81900 वर्गमीटर तथा कुल कंस्ट्रक्शन एरिया 60281.39 वर्गमीटर है। इस परियोजना की कुल लागत रूपये 38.465 करोड़ है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :–

बालोद आबादी 5.0 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन बालोद 6.0 कि. मी. की दूरी पर है।

परियोजना में कंस्ट्रक्शन फेस हेतु 100 कि.ली/दिन एवं ऑपरेशनल फेस हेतु 387 कि.ली/दिन जल का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति बोर वेल से किया जाना प्रस्तावित है।

विभिन्न कार्यों में उपयोग उपरांत लगभग 347 कि.ली/दिन दूषित जल उत्पन्न होगा। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 350 कि.ली/दिन क्षमता का लगाया जायेगा। उपचारित दूषित जल का उपयोग 42 कि. ली/दिन गार्डनिंग में एवं 124 कि.ली/दिन फ्लशिंग में किया जायेगा तथा शेष सीवर लाइन में निस्सारित करना प्रस्तावित है।

परियोजना से ठोस अपशिष्ट जनित होगा, जिसे बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन–बायोडिग्रेडेबल के अनुसार संग्रहित किया जावेगा। प्रत्येक बिल्डिंग के गार्बेज कलेक्शन रूम से गार्बेज संग्रहित किया जावेगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद बनाकर वृक्षारोपण में उपयोग किया जावेगा। नॉन–बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नगर पालिक निगम को अपवहन हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।

परियोजना में कंस्ट्रक्शन फेज हेतु 100 के.व्ही.ए. एवं ऑपरेशनल फेज हेतु (कनेक्टेड लोड) 11998 किलोवॉट विद्युत खपत होना है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1X1000 के. व्ही.ए. एवं 2X750 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट एकास्टिकली प्रुफ इंक्लोजर में रहेगा।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 217वीं बैठक दिनांक 21/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. कॉन्सेप्चुअल प्लान प्रस्तुत किया जावे।
2. भवन निर्माण अनुज्ञा अनुमति के संबंध में सक्षम प्रधिकारी का स्पष्ट जानकारी मंगाया जावे।
3. ठोस अपशिष्टों की मात्रा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से खाद बनाने हेतु चयनित स्थल एवं प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया जावे।
4. ले–आउट प्लान में प्रस्तावित वृक्षारोपण दर्शाते हुए कार्ययोजना (क्षेत्रफल, संख्या, वृक्षारोपण पूर्ण करने की अवधी आदि सहित) प्रस्तुत किया जावे।
5. उर्जा संरक्षण के अपनाये जाने वाले उपायों की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/03/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 220वीं बैठक दिनांक 20/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पुरूषोत्तम साहू, सहायक अभियंता एवं श्री सौरभ पांडे, उप अभियंता उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 17/03/2017 में उल्लेखित 05 बिंदुओ के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावेः–

1. पत्र दिनांक 17/03/2017 में उल्लेखित 05 बिंदुओ के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
2. लैण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जावे।
3. ले–आउट प्लान में प्रस्तावित वृक्षारोपण दर्शाते हुए कार्ययोजना (क्षेत्रफल, संख्या, वृक्षारोपण पूर्ण करने की अवधी आदि सहित) प्रस्तुत किया जावे।
4. कॉमन प्लेसेस में एल.ई.डी. लाईटिंग तथा सोलर आधारित स्ट्रीट लाईट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।
5. जल उपभोग में हार्टिकल्चर, फायर डिमांड तथा लॉसेस एवं थेप्ट हेतु प्रतिदिन जल उपभोग होना बताया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं है। हार्टिकल्चर में उपचारित दूषित जल का उपयोग होना चाहिए। फायर डिमांड तथा लॉसेस एवं थेप्ट हेतु जल उपभोग को युक्तियुक्त कर वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत किया जावे।
6. दूषित जल की मात्रा, उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण एवं उपचारित दूषित जल का विभिन्न कार्यों में उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संबंधी क्रियाकलापों का विस्तृत प्रस्ताव (संख्या एवं साईज) प्रस्तुत किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 56 दिनांक 13/04/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 17/05/2017 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि इस कार्यालय द्वारा अटल विहार योजना सिवनी, जिला–बालोद में कॉलोनी निर्माण के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था, चूंकि ज्ञात हुआ कि 20,000 वर्गमीटर से कम कुल बिल्टअप एरिया के लिए पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तदानुसार उक्त योजना की पुनः गणना की गई। जिसमें कुल बिल्टअप एरिया 18,412 वर्गमीटर की आ रहा है। अवलोकन हेतु गणना पत्रक संलग्न है। अतः उक्त योजना में पर्यावरण स्वीकृति आवश्यकता नहीं होगी।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर विचाराधीन आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. मेसर्स श्री भगतराम साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (539)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61378 / 2016, यह आवेदन दिनांक 28 / 12 / 2016 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 1892, 1893 एवं 1896, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 0.955 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,100 टन / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है :–

1. ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी का दिनांक 20 / 10 / 2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी / एलएसटी / एमपीएनएल–431 / नागपुर, दिनांक 16 / 06 / 1995 के द्वारा 2.70 एकड़ हेतु अनुमोदित है। मॉडिफिकेशन इन माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी / एलएसटी / एमपीएलडी–431 / एनजीपी–2015 दिनांक 23 / 03 / 2016 (अवधि 2015–16 से 29 / 10 / 2018 तक हेतु) द्वारा लीज क्षेत्र में कमी अर्थात् 2.36 एकड़ (0.955 हेक्टेयर) हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 1969 दिनांक 30 / 12 / 2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 09 खदानें रकबा 30.75 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी., अस्पताल ग्राम–नंदिनी नगर 3.0 कि.मी. एवं मंदिर बेरला 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.0 कि.मी. है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. लीज डीड श्री भगत राम साहू के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 30 / 10 / 1998 से 29 / 10 / 2018 तक की अवधि हेतु है।

4. जियोलॉजिकल रिजर्व 176428 टन एवं माईनेबल रिजर्व 19838 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। आवेदन अनुसार उत्खनन की अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3.0 मीटर होगी। उपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर एवं अनुमानित मात्रा 468.91 घनमीटर है। भू–भाग के 6190 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन होना बताया गया है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 5.5 कि.ली./दिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन 02 कि.ली./दिन, प्लांटेशन 02 कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1.5 कि.ली./दिन) है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण किया जावेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वृक्षारोपण किया गया है। मॉडिफाईड माईनिंग प्लान के अनुसार वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

उत्खनन की योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
1999–2000	1450
2000–2001	480
2001–2002	1210
2002–2003	50
2003–2004	निल
2004–2005	
2005–2006	
2006–2007	
2007–2008	
2008–2009	
2009–2010	
2010–2011	
2011–2012	
2012–2013	6484.08
2013–2014	निल
कुल	**9674.08**

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2015–2016	406.03	2.0	812.06	2030.15
2016–2017	406.24	2.0	812.49	2031.24
2017–2018	408.60	2.0	817.20	2043.01
2018–2019	419.12	2.0	838.25	2095.64
कुल	**–**	**–**	**3280.00**	**8200.04**

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 217वीं बैठक दिनांक 21/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय

लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में स्वीकृत माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत करते हुए अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों/दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/03/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 220वीं बैठक दिनांक 20/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुये। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 17/03/2017 (प्राप्ति दिनांक 20/03/2017) द्वारा सूचना दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से दिनांक 20/03/2017 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने बाबत् अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 223वीं बैठक दिनांक 20/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री मुक्तानंद साहू, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की अवधि में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। वर्तमान में भी उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2013 से 2017 तक का क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 1999 से 2012 तक की अवधि का क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. मॉडिफाइड माईनिंग प्लान के अनुसार वर्ष 1999 से 2013–14 तक की अवधि में कुल उत्खनन 9674.08 टन बताया गया है। मॉडिफाइड माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना करते समय विगत 15 वर्षों में उत्पादन 1,54,920 टन बताया गया है। दोनों तथ्यों में विरोधाभास है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वर्ष 1999 से 2012 तक की अवधि का क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति के साथ मॉडिफाइड माईनिंग प्लान में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार विगत 15 वर्षो में 1,54,920 टन उत्खनन के संबंध में प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। साथ ही उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 224 दिनांक 25/05/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज पत्र दिनांक 05/06/2017 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार :–

1. वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, परन्तु 2016–17 में उत्खनन कार्य 3185 टन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मार्च–2017 के बाद उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
2. वर्ष 1999–2000 से 2016–2017 तक की अवधि का क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
3. मॉडिफाइड माईनिंग प्लान (माईनिंग लीज अवधि 30/10/1998 से 29/10/2018 तक) के अनुसार वर्ष 1999 से 2013–14 तक की अवधि में कुल उत्खनन 9674.08 टन बताया गया है।
4. अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएनएल–431/ नागपुर, दिनांक 16/06/1995 के द्वारा 2.70 एकड़ हेतु अनुमोदित है। मॉडिफाइड माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना करते समय विगत 15 वर्षों में उत्पादन 1,54,920 टन बताया गया है, जो कि सही नहीं है। अतः पीट के अनुसार उत्पादन 22 वर्षों हेतु है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/ दस्तावेज अस्पष्ट है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. मेसर्स आर.आर. इस्पात (ए यूनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (468)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 10815/2016, यह आवेदन दिनांक 15/05/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल 1,00,000 टन/वर्ष से 2,14,000 टन/वर्ष हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था, जो कि प्लॉट नं 490/1, 237/3, 237/6, 476/1, 476/2, 483, 484, 485, 486, 490/2, 487, 488, 489/2, 474, 489/1, 488, 474, 489/1, 497, 496, 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 324/1, 271/5 एवं 271/6, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर में कुल भूमि 7.899 हेक्टेयर के अन्तर्गत क्षमता विस्तार कुल 0.831 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित किया गया था।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 26/11/2016 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु ईआईए रिपोर्ट बनाने बाबत् जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा

दिनांक 06/02/2017 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रकरण पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-11013/36/2014-IA-I दिनांक 04/04/2016 के अनुसार पूर्व में जारी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) में संशोधन कर लोक सुनवाई कराने हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) में संशोधन पत्र क्रमांक 138, दिनांक 29/04/2017 को जारी किया गया।

लोक सुनवाई दिनांक 09/05/2017 को प्रातः 11:00 बजे स्थान एसटीडीसी भवन औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 12/05/2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई की जानकारी/दस्तावेजों एवं फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15/05/2017 को प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 226वीं बैठक दिनांक 16/05/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। श्री दिनेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी टीओआर में लोक सुनवाई शामिल नही थी तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-11013/36/2014-IA-I दिनांक 04/04/2016 के अनुसार पूर्व में जारी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) में संशोधन कर लोक सुनवाई कराने हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) में संशोधन पत्र क्रमांक 138, दिनांक 29/04/2017 के द्वारा जारी किया गया। फलस्वरूप परियोजना की स्थापना में काफी समय व्यतीत हो जाने के कारण विलम्ब हो रहा है। अतः प्रस्तुतीकरण कराये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

प्रस्तुतीकरण के लिए श्री दिनेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :–

1. **जल एवं वायु सम्मति –** पूर्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से रोलिंग मिल क्षमता 1,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 01/08/2014 को जारी की गई है।
2. उद्योग को पूर्व में क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल 42,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पत्र क्रमांक 495 दिनांक 06/01/2011 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
4. स्थल औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने के संबंध में महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
5. पूर्व में जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फॉर्म 01 एवं फाईनल ईआईए रिपोर्ट में 7.89 हेक्टेयर एरिया का उल्लेख किया गया है एवं कुल 7.89 हेक्टेयर भूमि में से 2.80 हेक्टेयर भूमि में 4280 नग वृक्षारोपण किया किया जाना बताया गया था, परंतु स्थापित रोलिंग मिल एरिया 5.348 हेक्टेयर है, जिसमें से 1.628 हेक्टेयर भूमि में 2500 नग वृक्षारोपण किया गया है। उद्योग को पूर्व में क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल 42,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पत्र क्रमांक 495 दिनांक 06/01/2011 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में भी एरिया 5.348 हेक्टेयर का उल्लेख है।

7. समीपस्थ आबादी ग्राम–उरला 1.0 कि.मी. एवं रायपुर शहर 8.0 कि.मी. की दूरी पर है। समीपस्थ रेल्वे स्टेशन रायपुर 10 कि.मी. तथा रायपुर एयरपोर्ट 20 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 5.5 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 3.5 कि.मी. है। प्रोजेक्ट की संचालित इकाई की लागत रूपये 38.49 करोड़ है।

8. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

9. **रॉ–मटेरियल –** रोलिंग मिल में रॉ मटेरियल के रूप में माईल्ड स्टील बिलेट्स, स्लेब्स या ब्लूम्स 2,27,465 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा, जो जीपीआईएल द्वारा घरेलु उत्पादन एवं लोकल मार्केट से प्राप्त किया जावेगा। कोल गैसीफिकेशन सिस्टम हेतु 16,648 टन/वर्ष कोयले की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति एसईसीएल एवं ओपन मार्केट से की जावेगी।

10. क्षमता विस्तार के तहत् कार्य प्रणाली 02 शिफ्ट (16 घंटे) से बढ़ाकर 03 शिफ्ट (21 घंटे) किया जायेगा। कार्य दिवस 330 से बढ़ाकर 340 दिवस किया जावेगा। स्थापित फर्नेस की उत्पादन क्षमता 30 टन/घंटा है, परंतु वर्तमान में 18 टन/घंटा की उत्पादन क्षमता से कार्यरत है। अतः क्षमता विस्तार पश्चात् फर्नेस की उत्पादन क्षमता 30 टन/घंटा किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार पश्चात् फर्नेस ऑयल का उपयोग नहीं करते हुए कोल गैसीफिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जावेगा। प्रति टन बिलेट गर्म करने हेतु 80 किलो/टन कोयले से बनी गैस का उपयोग किया जावेगा।

11. **जल खपत एवं स्त्रोत** – स्थापित रोलिंग मिल हेतु 20 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड/ सीएसआईडीसी लिमिटेड से की जाती है। रोलिंग मिल की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता हेतु 30 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड/ सीएसआईडीसी लिमिटेड से 50 कि.ली./दिन बाबत् अनुमति ली गई है।

12. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** स्थापित रोलिंग मिल से उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 02 कि.ली./दिन है। रोलिंग मिल की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता से उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 03 कि.ली./दिन होगी। इस प्रकार कुल उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 05 कि.ली./दिन होगी। जिसका उपचार सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट द्वारा किया जावेगा। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।

13. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में तथा क्षमता विस्तार के तहत् वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु री–हिटिंग फर्नेस की चिमनी में वेट स्क्रबर लगाया गया है। वर्तमान में स्थापित चिमनी की ऊंचाई 44 मीटर है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन

नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि करना प्रस्तावित नहीं है।

14. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था –** स्थापित रोलिंग मिल ईकाई से ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न मिल स्केल की मात्रा 2080 टन/वर्ष, क्लिंकर ऐश 3600 टन/वर्ष एवं टार अधिकतम 368 कि.ग्रा./माह है एवं क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल 4365 टन/वर्ष, क्लिंकर ऐश 6848 टन/वर्ष एवं टार अधिकतम 736 कि.ग्रा./माह उत्पन्न होना प्रस्तावित है। मिल स्केल को अपनी फेरो/एसएमएस कुल इकाईयों में पुर्नउपयोग, क्लिंकर ऐश को ब्रिक निर्माण ईकाईयों को एवं टार को अधिकृत क्रेताओं को विक्रय किया जाएगा।

15. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – संचालित रोलिंग मिल हेतु 2.5 मेगावॉट बिजली की खपत होती है एवं बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता हेतु 2.0 मेगावॉट बिजली की खपत होगी। इस प्रकार कुल 4.5 मेगावॉट बिजली की खपत होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जावेगी।

16. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु 12 नग रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है।

17. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 04 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

18. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 17.8 से 51.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी. एम.$_{10}$ 23.4 से 82.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 10.1 से 25.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 10.4 से 33.0 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 38.4 डीबीए से 54.9 डीबीए पाया गया।

19. पूर्व में उद्योग को क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल 42,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु कराये गये ईआईए रिपोर्ट के मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार एस.पी.एम. 102 से 225 माईक्रोग्राम/घनमीटर, आर.पी.एम. 34 से 77 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 06 से 14.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 07 से 18.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई थी।

20. परियोजना के क्षमता विस्तार संबंधी जनसुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों द्वारा सराहना करते हुये स्वागत किया गया। स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दिये जाने बाबत् मांग की गई। इस हेतु प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहमति दी गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया था कि :–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा स्थापित ऐंम्बियेंट एयर क्वालिटी मानिटरिंग स्टेशन्स यथा वूलवर्थ (इंडिया) लिमिटेड, उरला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर, कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 के ऐंम्बियेंट एयर क्वालिटी मानिटरिंग डाटा प्रेषित किये जाने हेतु सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से अनुरोध किया जावे।

2. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 221 दिनांक 24/05/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर की जानकारी संलग्न करते हुये दस्तावेज पत्र दिनांक 08/06/2017 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्न है :–

''किसी भी औद्योगिक ईकाई की स्थापना से आसपास का परिवेश प्रभावित होता है एवं इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के शमन के लिये प्रभावी उपाय किये जाते है। उद्योग द्वारा मुख्य ईंधन के रूप में प्रोड्यूसर गैस तथा गैसीय फॉयर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने से उक्त ईकाई की स्थापना से डस्ट पार्टिकल की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण पर कृपया उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।''

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि यह क्षेत्र सिवियरली पॉलुटेड एरिया के अंतर्गत आता है। ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने के दौरान किये गये मॉनिटरिंग के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा इस क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक से एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा समय समय पर इस क्षेत्र की, की गई मॉनिटरिंग से प्राप्त परिणामों से काफी कम पाया जाना बताया गया है, जबकि सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र होने के कारण यह संभव प्रतीत नहीं होता है।

समिति द्वारा विचार विर्मश उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा अपेक्षाकृत काफी कम पाए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जावे। भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन की अद्यतन स्थिति बाबत् प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. रेत खदानों के संबंध में प्राप्त शिकायत बाबत् विचारः– एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में श्री धनेन्द्र साहू, विधायक के शिकायत पत्रों पर विचार किया गया। समिति द्वारा शिकायत पत्रों का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि श्री धनेन्द्र साहू, विधायक के पत्र दिनांक 03/05/2017 द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद एवं धमतरी जिलें के खारुन नदी, पैरी नदी एवं महानदी में संचालित रेत खदानों में रेत उत्खनन कार्य में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन करने की जॉच करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने बाबत् अनुरोध किया गया है।

पत्र दिनांक 05/05/2017 द्वारा रायपुर संभाग के महानदी, पैरी नदी, सूखा नदी एवं खारुन नदी में रेत उत्खनन एवं भराई कार्य मशीनों से करने स्वीकृति नहीं दिये जाने बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्र दिनांक 25/05/2017 द्वारा प्रदेश की नदियों में रेत उत्खनन एवं भराई कार्य मशीनों से करने हेतु स्वीकृति नहीं दिये जाने बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राप्त शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जॉच कर प्रतिवेदन / अभिमत प्रेषित करने हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ एवं प्रतिलिपि संबंधित जिला कलेक्टर से अनुरोध किया जावे।

संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ एवं संबंधित जिला कलेक्टर को तदानुसार सूचित किया जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत चारामा, ग्राम व तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (138)

प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 32647/2015, यह आवेदन दिनांक 07/11/2015 को ऑनलाईन को प्राप्त हुआ था। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 6388/ख.नि 02/ रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 09/11/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग. के पत्र क्रमांक 4965, दिनांक 14/03/2016 द्वारा खसरा नं. 131, ग्राम–चारामा, नगर पंचायत चारामा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 8.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पत्र दिनांक 24/04/2017 द्वारा रेत उत्खनन का कार्य मशीन से किये जाने बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि ''नगर पंचायत चारामा क्षेत्र में रेत उत्खनन कार्य के लिये मजदूरों की कमी है। जिसके कारण रेत उत्खनन कार्य बंद है और निकाय क्षेत्र में शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण कार्य रेत के अभाव से प्रभावित हो रहे है। अतः शासन के नियमानुसार रेत उत्खनन कार्य हेतु मशीन उपयोग की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।''

मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अपने अन्य पत्र दिनांक 06/05/2017 के द्वारा उल्लेखित किया गया है किः–

1. जिला कलेक्टर को 02 हेक्टेयर तक रेत खदान में मशीन द्वारा रेत लोडिंग करने की अनुमति देने का अधिकार है। जिस कारण जिला कलेक्टर द्वारा आसपास के 02 हेक्टेयर तक कई रेत खदानों मे मशीन द्वारा लोडिंग की अनुमति दी गई है।
2. आज के समय में 10 से 12 चक्के वाली ट्रकों द्वारा रेत परिवहन किया जाता है। जो कि मजदूरो से लोडिंग संभव नहीं हो पाता है। जिस कारण हमारी रेत खदान में कोई भी वाहन श्रमिकों से लोडिंग हेतु नही आता है।

3. रेत खदान स्वीकृत हुये 01 वर्ष से अधिक हो गया है, परन्तु हेण्ड लोडिंग के चलते बंद है, क्योंकि बाजू के खदान में मशीन द्वारा लोडिंग की जा रही है।
4. रेत लोडिंग बंद होने से खनिज विभाग एवं नगर पंचायत को खनिज रॉयल्टी से जो आय प्राप्त होती है, वो आय पूर्ण रूप से बंद है।
5. नगर क्षेत्र में श्रमिक भी लोडिंग हेतु नहीं मिलते है। अतः खदान चालू करने के लिए तथा रेत लोडिंग हेतु मशीन की अनुमति की नितांत आवश्यकता है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 226वीं बैठक दिनांक 16/05/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त अनुरोध पत्र दिनांक 24/04/2017 एवं 06/05/2017 को कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को प्रेषित कर क्षेत्र में श्रमिकों की उपलब्धता के संबंध में अभिमत प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्र. 262 दिनांक 12/06/2017 के द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता के संबंध में अभिमत प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसारः–

1. आवेदित क्षेत्र नगर पंचायत चारामा अंतर्गत है एवं पिछले 05–06 माह से बंद है।
2. समीपस्थ क्षेत्र में लघु उद्योग, बीड़ी उद्योग, हथकरघा एवं सब्जी का व्यापार होने के कारण मजदूर नहीं मिल पाने से रेत भराई का कार्य नहीं होना पाया गया।
3. चूंकि वर्तमान में 10 चक्का एवं 12 चक्का से रेत का परिवहन किया जाता है। जिसकी उंचाई अधिक होने के कारण मजदूरों के द्वारा लोडिंग किया जाना संभव नहीं है।
4. चूंकि नये MOEF Guideline Sustainable Sand Mining and Management Guideline 2016 के अनुसार रेत खदान की पर्याप्त चौड़ाई एवं गहराई होने पर मशीन द्वारा रेत भराई की अनुमति दिये जाने पर विचार किये जाने योग्य हैं।
5. चरामा रेत खदान घोषित क्षेत्र महानदी पर है, जिसकी चौड़ाई लगभग 300 मीटर है, गहराई लगभग 04 मीटर है, जिससे सीमित गहराई तक उत्खनन एवं व्यवस्थित रूप में रैंप बनाकर खदान से मशीन द्वारा रेत भराई की अनुमति दिये जाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खदान को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से मशीन द्वारा उत्खनन की अनुमति वर्तमान में दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः परियोजना प्रस्तावक के मशीन द्वारा रेत उत्खनन संबंधी प्रस्तुत अनुरोध को अमान्य करने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी कवर्धा, ग्राम–नेवारी, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम (455)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए / सीजी / एमआईएस /53777/2016, यह आवेदन दिनांक 14/05/2016 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

संस्था का नाम – मुख्य नगर पालिका परिषद कवर्धा (नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, ग्राम–नेवारी, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम)।

भूमि का विवरण – खसरा नम्बर 165, ग्राम–नेवारी, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम, कुल क्षेत्रफल 3.666 हेक्टेयर, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता– 34.0 घनमीटर।

निकटतम आबादी कवर्धा 2.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 197वीं बैठक दिनांक 14/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रस्तावित अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया था।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 199वीं बैठक दिनांक 25/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा तत्समय यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में पत्र दिनांक 29/07/2016 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस. ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष तत्समय प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित नहीं हो पाने के संबंध में कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा तत्समय यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/12/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 211वीं बैठक दिनांक 09/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सुदेश कुमार सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं श्री गणेश शंकर नामदेव, उप अभियंता उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट / प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रस्ताव भी स्पष्ट नहीं है। सुनवाई हेतु उपस्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट / प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकी।
2. प्रस्तुत फार्म–1 में अधिकांश संबंधित बिंदुओं पर ''नहीं'' का उल्लेख किया गया है, अर्थात् फार्म–1 में वांछित जानकारी नहीं दिया गया है।

3. नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रस्तावित अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं पर विस्तृत एवं स्पष्ट जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 19/01/2017 एवं 29/04/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी /दस्तावेज दिनांक 12/05/2017 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार :–

1. **स्थल** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 165, ग्राम–नेवारी, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम में कुल क्षेत्रफल 3.666 हेक्टेयर भूमि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लेण्डफिल साईट विकास हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लेण्डफिल साईट विकास परियोजना शासकीय भूमि पर प्रस्तावित है।
2. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था –** गीला एवं सूखा कचरा नगर के प्रत्येक घर से इकट्ठा कर कुल 47 संग्रहण स्थलों एवं व्यवसायिक कचरा निर्धारित 32 संग्रहण स्थलों पर संग्रहित किया जाना प्रस्तावित है। अस्पतालों एवं बूचड़खानों के अपशिष्टों को पृथक से इकट्ठा करने एवं संग्रहणकर्ता संस्था द्वारा इनसीनिरेटर में जलाया जावेगा।
3. नगर में दो स्थानों पर एस.एल.आर.एम. सेंटर खसरा नंबर 94 वार्ड क्रमांक 03 एवं खसरा नंबर 656 वार्ड क्रमांक 10 में निर्धारित किये गये है। एस.एल.आर.एम. सेंटर हेतु निर्धारित भूमि प्राप्त की जा चुकी है। एस.एल.आर.एम. सेंटर पर गीला कचरा एवं सुखा कचरा पृथक कर इकट्ठा किया जावेगा। पृथकीयकरण के पश्चात् उपयोगी सामाग्री जैसे कॉच, रबर, प्लास्टिक, कंकड़, पत्थर, लकड़ी की टुकड़े, चमड़ा इत्यादि अलग–अलग इकट्ठा किया जावेगा तथा इन्हें निर्धारित दरों पर विक्रय किया जावेगा। बायोडिग्रेडेबल गीले कचरे को कम्पोस्टिंग हेतु वार्ड नंबर 17 में निर्धारित स्थल पर कम्पोस्टिंग शेड में स्थानांतरित किया जावेगा। कम्पोस्टिंग शेड में गीले कचरे का कम्पोस्ट तैयार होने के पश्चात् कम्पोस्ट निर्धारित दरों पर विक्रय किया जावेगा। उपरोक्त व्यवस्था के पश्चात् शेष 20 प्रतिशत अवशेष अनुपयोगी होगा। जिसे वार्ड क्रमांक 17 खसरा नंबर 196 में निर्धारित लेण्डफिल साईट पर वैज्ञानिक रूप से लेण्डफिल किया जावेगा।
4. नगर वार्ड क्रमांक 17 में नगर आबादी से 3 किमी दूरी पर लैण्डफिल साईट हेतु भूमि खसरा नं. 165 में 3.666 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी चिन्हांकित कर नगर परिषद् को आबंटित हो चुकी है।
5. लैण्डफिल स्थल के सीमा की परिधि में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण प्रस्तावित है। लैण्डफिल साईट पर लाये जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को मापने हेतु एक धर्मकांटा, अग्नि सुरक्षा उपकरण इत्यादि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
6. भरण स्थल के वाहनों के मुक्त संचालन हेतु आने–जाने की दिशाओं में वाहन परिवहन हेतु पक्की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। परिवहन वाहनों की पार्किंग एवं धुलाई इत्यादि हेतु पृथक क्षेत्र निर्धारित किया जावेगा।
7. स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु शुद्ध पेयजल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान किया जाना प्रस्तावित। स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा की व्यवस्था प्रस्तावित है।

8. स्थल पर अपशिष्ट के परीक्षण हेतु अभिलेख रखने कार्यालय सुविधा, प्रदूषण मॉनिटरिंग उपकरण, आश्रय सुविधा में अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान का लेखा–जोखा प्रस्तावित है। स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा की व्यवस्था प्रस्तावित है।

9. अपशिष्टों को तत्काल या प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में कम से कम 10 से.मी. मिट्टी, अक्रिय मलबे या निर्माण सामाग्री से उस समय तक ढ़ॅक दिया जाएगा। जब तक कि कम्पोस्टिंग या पुनःचक्रण या उर्जा पुनःप्राप्ति के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधायें स्थापित न कर दी जायें।

10. मानसून ऋतु से आरंभ होने से पूर्व भूमि भरण स्थल पर मानसून के दौरान पानी के रिसाव को रोकने के लिए उचित संग्रहण और श्रेणीकरण के साथ 40–65 से.मी. मोटी मिट्टी का मध्यवर्ती आवरण बिछा दिया जाएगा। भूमि भरण स्थल के प्रभावी क्षेत्रों से पानी के बहाव को विपथित करने के लिए उचित निकास नालियों का निर्माण किया जाएगा।

11. भूमि भरण स्थल के पूरा हो जाने के पश्चात् उसके रिसाव और अपरदन को न्यूनतम करने के लिए अंतिम आवरण डिजाइन किया जाएगा। अंतिम आवरण में $1x10^{-7}$ से.मी./सेकंड से कम पारगम्यता गुणांक सहित 60 से.मी. की चिकनी मिट्टी या शोधित मिट्टी से युक्त अवरोध मिट्टी की परत होगी। अवरोधक मिट्टी के परत से उपर 15 से.मी. की एक निकाय परत होगी। निकाय परत के उपर प्रकृति जन्य पादपों की वृद्धि में सहायता करने और अपरदन को कम करने के लिए 45 से.मी. वानस्पतिक परत होगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 226वीं बैठक दिनांक 16/05/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों के अनुसार लेण्डफिल साईट हेतु वार्ड क्रमांक 17 खसरा नंबर 196 तथा नगर वार्ड क्रमांक 17 में नगर आबादी से 3 किमी दूरी पर खसरा नं. 165 में 3. 666 हेक्टेयर भूमि भी निर्धारित किया जाना बताया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस भूमि पर लेण्डफिल साईट विकास के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति वांछित है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त के संबंध में जानकारी, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स, ले–आउट प्लान सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/06/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 229वीं बैठक दिनांक 15/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री एम.एल. कुर्रे, असिसटेंट इंजीनियर एवं श्री गणेश नामदेव, सब इंजीनियर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार मकानों की संख्या 10,152 थी, परंतु वर्तमान में डोर –टू–डोर किये गये सर्वे के अनुसार इनकी संख्या 10,206 होना पाया गया। इस प्रकार प्राप्त आकड़ों में मकानों की संख्या में बहुत कम वृद्धि प्रतीत होता है। इस हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जावे।

विचाराधीन परियोजना में अस्पताल एवं बूचड़खाना से उत्पन्न अपशिष्टों का अपवहन भी बताया गया है। जबकि इस हेतु पृथक से नियम बनाये गये हैं तथा इनका

अपवहन उन नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुतीकरण के दौरान नहीं दिया जा सका। साथ ही प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई में कई बिन्दुओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस हेतु दिनांक 16/06/2017 को पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु समय चाहा गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये दिनांक 16/06/2017 को प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जावे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस हेतु सहमति व्यक्त की गई थी।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। श्री एम.एल. कुर्रे, सहायक अभियंता एवं श्री गणेश नामदेव, उप अभियंता समिति के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा पूर्व में चाही गई जानकारियॉ /दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की जा सकीं तथा इस बाबत् और समय की मांग की गई। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(रेजीना टोप्पो)
सचिव,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़

सरपंच, ग्राम पंचायत कोसमखुंटा को पार्ट ऑफ खसरा नं. 864, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर, ग्राम–कोसमखुंटा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में बघनई नदी से रेत उत्खनन क्षमता 60,000 घनमीटर / वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. उत्खनन क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 60,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ''सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईंस, 2016'' के स्टेण्डर्ड इंव्हायरोनमेंटल कंडिशन्स फॉर सेण्ड माईनिंग के प्रावधानों का पालन किया जावे।
5. वर्षाऋतु में रिव्हर सेण्ड माईनिंग नहीं किया जावे।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
7. रेत की खुदाई एवं भराई कार्यों हेतु स्थानीय श्रमिकों को वरियता दी जावे।
8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही

किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

10. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

12. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

14. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

15. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

16. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

17. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2017 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1200 पौधों का रोपण नदी तट पर वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

22. श्रमिकों का समय–समय पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा, कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

28. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

29. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

30. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

31. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

32. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत थनौद
को पार्ट ऑफ खसरा नं. 2820, कुल लीज क्षेत्र 14.50 हेक्टेयर, ग्राम–थनौद, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में शिवनाथ नदी से रेत उत्खनन क्षमता 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति माननीय न्यायालय में विचाराधीन किसी भी कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया जा रहा है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया जावेगा। वह परियोजना प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 14.50 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ''सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईंस, 2016'' के स्टेण्डर्ड इंव्हायरोनमेंटल कंडिशन्स फॉर सेण्ड माईनिंग के प्रावधानों का पालन किया जावे।
6. वर्षाऋतु में रिव्हर सेण्ड माईनिंग नहीं किया जावे।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
8. रेत की खुदाई एवं भराई कार्यों हेतु स्थानीय श्रमिकों को वरियता दी जावे।
9. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

10. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

11. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

12. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

13. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

15. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

16. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

17. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2017 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 2900 पौधों का रोपण नदी तट पर वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

19. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण

संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

20. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

21. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है, तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

22. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

23. श्रमिकों का समय–समय पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

24. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

25. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

27. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा, कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

28. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं

क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

29. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**